अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

सुण्डाराम बनाम **सुगनाराम आदि**

दावा बाबत बंटवारा एवं संशोधन राजस्व रिकार्ड

दावा मुकदमा नं. 34/2018 **निर्णय दिनांक– 21.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर आराजियात खसरा सं. 186/1 रकबा 2.40 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा सं. 283) वाके ग्राम अलखपुरा गोदारान व खसरा सं. 151 रकबा 3.14 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा सं. 229) वाके ग्राम छिंछास, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

1. अलखपुरा गोदारान

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. फुसाराम बनवारीलाल महेन्द्रकुमार पि. मोतीराम जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	283 मी.	1.17 हैक्टेयर	बा.1	7.02
2. रूड़ाराम पुत्र चून्नीलाल जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	283 मी.	1.17 हैक्टेयर	बा.1	7.02
3. फुसाराम बनवारीलाल महेन्द्रकुमार पि. मोतीराम हि. 1/2 रूड़ाराम पुत्र चून्नीलाल हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	283 मी.	0.06 हैक्टेयर	बा.1	0.36

2. छिंछास

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. सुगनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	229 मी.	1.45 हैक्टेयर	बा.2	5.80
2. सुण्डाराम पुत्र चून्नीलाल जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	229 मी.	1.45 हैक्टेयर	बा.2	5.80
3. रूड़ाराम पुत्र चून्नीलाल जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	229 मी.	0.24 हैक्टेयर	बा.2	0.96

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.06.2018 को केम्प कुमास जाटान में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

21.06.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प कुमास जाटान में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से वांछित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर प्रति. सं. 1 व 3 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामे से दावा डिक्री करने का अनुरोध किया। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादी ने बंटवारा चाहा है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। प्रति. सं. 1 व 3 स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/रा.लो.अ./2018/349 दिनांक 21.06.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजियात खसरा सं. 186/1 रकबा 2.40 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा सं. 283) वाके ग्राम अलखपुरा गोदारान व खसरा सं. 151 रकबा 3.14 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा सं. 229) वाके ग्राम छिंछास, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

1. अलखपुरा गोदारान

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. फुसाराम बनवारीलाल महेन्द्रकुमार पि. मोतीराम जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	283 मी.	1.17 हैक्टेयर
2. रूड़ाराम पुत्र चून्नीलाल जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	283 मी.	1.17 हैक्टेयर
3. फुसाराम बनवारीलाल महेन्द्रकुमार पि. मोतीराम हि. 1/2 रूड़ाराम पुत्र चून्नीलाल हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	283 मी.	0.06 हैक्टेयर

2. छिंछास

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. सुगनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	229 मी.	1.45 हैक्टेयर
2. सुण्डाराम पुत्र चून्नीलाल जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	229 मी.	1.45 हैक्टेयर
3. रूड़ाराम पुत्र चून्नीलाल जाति गुर्जर सा. लक्ष्मणगढ़	229 मी.	0.24 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Copy Not Official